DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with B+ Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G.)
Ph. : 07753-253 801 Fax : 07753-253728
e-mail : info@cvru.ac.in, visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.164(अ)/सीवीआरयू/उ.कु.स.(अका.)/2020 बिलासपुर, दिनांक :– 13.03.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के माननीय अकादमिक परिषद् की अठ्ठारहवीं बैठक दिनांक 22/06/2019 एवं प्रबंध मंडल की 46 वीं बैठक 25/02/2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय के मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में पंजीकृत जिन छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि विश्वविद्यालय के मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा माध्यम के अध्यादेश क्रमांक 91 व 92 के अनुसार समाप्त हो चुकी है और उनका पाठ्यक्रम अपूर्ण है उन्हें पूनः पंजीयन कराकर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ऐसे छात्रों को निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन पुनः प्रवेश लेकर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जावेगा।

1. इसमें ऐसे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे जो कि, पूर्व में किसी भी पाठ्यक्रम में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान में प्रवेशित है एवं जिनका अध्यादेश क्रमांक 91/92 के अनुसार पंजीयन की अधिकतम अवधि पूर्ण हो चुकी है, एवं उनका पाठ्यक्रम अपूर्ण है। यथा विद्यार्थी सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है या परीक्षा में भाग नहीं ले पाया है, आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण है या अंक अनुपलब्ध है। प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित है या अनुत्तीर्ण है या प्रोजेक्ट फाईल जमा नहीं कर पाया है या प्रोजेक्ट के मौखिक की परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण है।

2. बिन्दु क्रमांक 01 में वर्णित सभी पात्र विद्यार्थी जो किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष को छोड़ कर शेष सभी वर्षो में अपना पंजीयन न करने वाले छात्र तथा पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु निर्धारित फीस न जमा करने वाले छात्र, पुनः प्रवेश के पात्र होंगे, बशर्ते वे खोये हुये वर्षो के लिये निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा कर दें।

3. बिन्दु क्रमांक 01 में वर्णित सभी पात्र विद्यार्थी जो किसी वर्ष के आंशिक पेपर में अनुत्तीर्ण है एवं एटीकेटी की पात्रता रखते है को पुनः पंजीयन हेतु उनके पाठ्यक्रम की वर्तमान निर्धारित पंजीयन शुल्क (प्रति वर्ष) का 40 प्रतिशत राशि, प्रति वर्ष के अनुत्तर्ण विषयों हेतु पंजीयन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यदि विद्यार्थी किसी वर्ष के सभी पेपर में अनुत्तीर्ण है तो उसे वर्तमान निर्धारित पंजीयन शुल्क प्रति वर्ष का 40 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष के अनुत्तीर्ण विषयों के पंजीयन के शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

4. पुनः पंजीयन 6 माह/1 माह/2 वर्ष के लिये वैध होगा। पंजीयन के उपरांत पंजीयन अवधि समाप्त होने पर पुनः पंजीयन का दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। पुनः पंजीयन हेतु पंजीयन फार्म एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

अ. पुनः पंजीयन 6 माह की अवधि वाले सभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिये 06 माह तक वैध।

ब. पुनः पंजीयन एक वर्ष की अवधि वाले सभी पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम – एक वर्ष तक वैध।

स. पुनः पंजीयन दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दो वर्ष तक वैध।

द. पुनः पंजीयन तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के स्नातक पाठ्यक्रम – दो वर्ष तक वैध।

5. उपर क्रमांक 4 पर दर्शायी गयी अतिरिक्त अवधि तब से शुरू होगी, जब से प्रारंभ में पंजीयन कराने वाले पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि पूर्ण हो जाये या इस प्रावधान के लागू होने की तिथि से जो भी बाद में हो।

6. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत ही पुनः प्रवेश की अनुमति प्रदान की जावेगी।

7. पुनः पंजीयन केवल अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षा का अवसर प्रदान करने के लिये होगी।

8. पुनः पंजीयन कराने वाले विद्यार्थियों को सत्रगत कार्य करने हेतु पुस्तकालय सुविधा, प्रायोगिक कार्य हेतु लैब एवं शंका समाधान हेतु शंका समाधान कक्षा/परामर्श कक्षा की सुविधा होगी यह सभी सुविधा विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में उपलब्ध होगी।

9. पुनः प्रवेश की स्थिति में पाठ्यसामग्री प्रदान नहीं की जायेगी। यदि पूर्व में प्रदान की गयी पाठ्न–सामग्री बदली जाती है तो बदली हुई पाठन सामग्री को विद्यार्थी द्वारा खरीदना होगा।

10. विद्यार्थी को पुराने पाठ्यक्रमों में तब तक पुनः प्रवेश लेने की अनुमति होगी, जब तक कि पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होगी।

11. जिन कार्यक्रमों में प्रायोगिक कार्य होगा, उसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

12. विद्यार्थी को निर्धारित परीक्षा फार्म वर्तमान निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ जमा करने पर अनुत्तीर्ण विषयों के परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जावेगी। प्रवेश एवं परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय के नियम एवं शर्ते लागु होंगी।

उप कुलसचिव (अकादमिक)

पृ.क्र.164(ब)/सीवीआरयू/उ.कु.स.(अका.)/2020 बिलासपुर, दिनांक :– 13.03.2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. संचालक, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा संस्थान को सादर् सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव (प्रशासन/वित्त/परीक्षा/स्थापना) को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. परीक्षा नियंत्रक, को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर् सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/वित्त/परीक्षा/स्थापना) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

उप कुलसचिव (अकादमिक)

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

अधिकतम अवधि पूर्ण कर चुके अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के पुनः पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

1. विद्यार्थी का नाम :–..
2. पिता का नाम :–..
3. माता का नाम :–..
4. पाठ्यक्रम का नाम :–..
5. पंजीयन क्रमांक :–..
6. नामांकन क्रमांक :–..
7. जन्म दिनांक :–..
8. वर्तमान पता :–..
   ....
   ....
9. फोन नं. :–..
10. ईमेल आई–डी :–..
11. अनुत्तीर्ण विषयों के नाम :–

सेमेस्टर	सैद्धांतिक विषय	प्रायोगिक विषय
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

शपथ पत्र

मै. ...., पिता श्री. ....
.................., पाठ्यक्रम .... में सत्र .... में पंजीकृत था, जिसमें .... विषयों में अनुत्तीर्ण हूँ अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय के नियम एवं शर्तो को पढ़कर स्वीकार करते हुये पुनः पंजीयन का आवेदन निर्धारित शुल्क .... के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया अनुमति प्रदान करें। विश्वविद्यालय के नियम एवं शर्ते मान्य होगी।

अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर